

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-4/2022/सात/शा.7 /187
प्रति

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2022

कलेक्टर (समस्त)
मध्यप्रदेश।

विषय: ग्राम की आबादी क्षेत्र, निस्तार पत्रक या निस्तार अधिकारों में पृथक रखी गई भूमि के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने पर स्पष्टीकरण।

संदर्भ: मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2-2/2021/सात/शा.7 दिनांक 16 फरवरी, 2021।

ग्राम की आबादी भू-भाग या ग्राम के लिए निस्तार पत्रक में आरक्षित भूमियों के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के बाद ऐसी भूमियों की मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक स्थिति निम्नानुसार है:-

- (1) नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम की आबादी का भू-भाग- ऐसे भू-भाग जो नगरीय निकाय के गठन अथवा विस्तारण के समय किसी ग्राम की आबादी का भाग रहा है, ऐसे भू-भाग में यथास्थिति निकाय के गठन या विस्तारण की दिनांक या उसके पूर्व से आबादी में गृहस्थल धारण करने वाला व्यक्ति या उनके उत्तराधिकारी अथवा उत्तरवर्ती भूमिस्वामी है। नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम की आबादी का ऐसा भू-भाग जो रिक्त है, रिक्त आबादी भूमि नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अनुसार नजूल भूमि है।
- (2) नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम के निस्तार पत्रक में आरक्षित भूमियां- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 2-2/2021/सात/शा.7 दिनांक 16 फरवरी, 2021 की कंडिका 6 में नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम के निस्तार पत्रक की विधिक स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की गई है-

“6. नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम- उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 234 के अधीन प्रत्येक ग्राम के लिये तैयार किये गये निस्तार पत्रक में कतिपय भूमियां विशिष्ट प्रयोजनों के लिये आरक्षित हैं। ऐसे ग्राम जो नगरीय क्षेत्र के विस्तारण की अधिसूचना के प्रभाव में नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गये हैं, अब संहिता के प्रावधानों के अनुसार ग्राम नहीं हैं, बल्कि धारा 104 की उपधारा (3) के अनुसार सेक्टर हैं और सेक्टर में निस्तार पत्रक प्रभावशील नहीं हैं।

उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 233-क के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (दखलरहित भूमि, आबादी तथा वाजिब उल अर्ज) नियम, 2020 का अनुसरण करते हुए, लोक प्रयोजनों के लिये भूमि पृथक रखे जाने की शक्ति कलेक्टर को प्राप्त है। उनसे यह अपेक्षित है कि वह ऐसे ग्राम, जो नगरीय क्षेत्र में समाहित होकर सेक्टर बन गये हैं, में स्थित भूमियों की समीक्षा करें और उनमें से नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 233-क के अधीन लोक प्रयोजनों के लिये भूमि आरक्षित करते हुए शेष भूमि भू-अभिलेख में दखलरहित (नजूल) भूमि के रूप में अंकित करायें तथा संहिता की धारा 233-क के अधीन उपरोक्त कार्यवाही करते समय नगरीय क्षेत्र में स्थित अन्य दखलरहित (नजूल) भूमि को भी विचार में लेते हुए नगरीय क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समग्र रूप से योजना तैयार कर लोक प्रयोजनों के लिये भूमि आरक्षित करने पर विचार करें।”

कृपया ग्राम की आबादी क्षेत्र, निस्तार पत्रक या निस्तार अधिकारों में पृथक रखी गई भूमि के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने पर उपरोक्तानुसार विधिक स्थिति के प्रकाश में यथोचित कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(मनीष रस्तोगी)

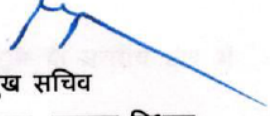
प्रमुख सचिव,

मओप्र शासन, राजस्व विभाग

पृ०क्रमांक एफ 2-4/2022/सात/शा.7 /188
प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल, 2022

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
 2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
 4. सचिव, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 5. सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

IndiaCode